रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274124
CG-DL-E-04072026-274124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

मामला सं. एडी (ओ आई) 17/2026

सेतु मामला आई.डी.एडी/ ओ आई /019/2026

विषय: चीन जन. गण. और मलेशिया में उत्पन्न या निर्यात किए गए "डायलाइज़र" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/19/2026-डीजीटीआर.—** समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय- समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के अनुसार, मैसर्स पॉली मेडिक्योर लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. तथा मलेशिया (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डायलाइज़र" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है तथा उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद "डायलाइज़र" है। डायलाइज़र एक डिस्पोजेबल चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग हेमोडायलिसिस उपचार में किया जाता है। एक डायलाइज़र एक कृत्रिम गुर्दे के रूप में कार्य करता है और रोगी के रक्त से यूरिया और क्रिएटिनिन, अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह एक जीवन रक्षक चिकित्सा उपभोज्य है और हेमोडायलिसिस प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है।

4. यह डायलिसिस मशीन का एक अनिवार्य घटक है और डायलिसिस उपचार के दौरान रक्त शोधन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। डायलाइज़र एक अर्ध-पारगम्य खोखले फाइबर झिल्ली के माध्यम से प्रसार और निस्पंदन के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे रक्त में अशुद्धियाँ डायलीसेट में चली जाती हैं जबकि रक्त कोशिकाओं और आवश्यक घटकों को झिल्ली के माध्यम से पारित किया जाता है। डायलाइज़र विभिन्न झिल्ली सतह क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और झिल्ली प्रवाह के आधार पर भी वर्गीकृत किए जाते हैं।

5. एफ6 एचपीएस, एफ7 एचपीएस, एफएक्स5, एफएक्स8, एफएक्स10, एफएक्स60, एफएक्स80, एचएफ60, एचएफ80 जैसे ब्रांड नामों वाले फ्रेसेनियस द्वारा बनाए और एक्सपोर्ट किए गए डायलाइज़र को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।

माप की इकाई

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित मापन इकाई संख्या अथवा पीस है।

टैरिफ वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत उपशीर्ष 90189031 में किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

पीसीएन पद्धति

8. विचाराधीन उत्पाद विभिन्न झिल्ली सतह क्षेत्रों तथा फ्लक्स श्रेणियों में उत्पादित एवं विक्रय किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का डायलाइज़र उपभोक्ता द्वारा उसकी डायलिसिस आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है। विभिन्न विशेषताओं (जैसे फ्लक्स प्रकार, सतह क्षेत्र आदि) के कारण उत्पाद की लागत एवं कीमत में अंतर होता है। अतः आवेदक ने निम्नलिखित पीसीएन पद्धति प्रस्तावित की है:

मानदंड	विनिर्देशन	कोड
डायलाइज़र सतह क्षेत्र	1.3 एम² अथवा उससे कम 1.3 एम² से अधिक तथा 1.8 एम² से कम 1.8 एम² अथवा उससे अधिक	एक्स वाई जेड
फ्लक्स	उच्च अन्य (मध्यम एवं निम्न)	एच एम

9. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपने विचार, औचित्य एवं साक्ष्य सहित, जांच शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं।

11. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. तथा मलेशिया हैं।

घ. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) तक निर्धारित की गई है। क्षति जांच अवधि में 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा वर्तमान जांच अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

14. आवेदन मैसर्स पॉली मेडिक्योर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है तथा वह संबद्ध देशों के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख घरेलू उत्पादक है।

15. आवेदक के अतिरिक्त, भारत में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक अन्य उत्पादक, अर्थात् निप्रो मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("निप्रो"), मौजूद है। निप्रो एक शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) के रूप में कार्य करता है तथा अपने उत्पाद का अधिकांश भाग निर्यात करता है। स्थिति निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने निप्रो की घरेलू बिक्री को घरेलू उत्पादन माना है।

16. उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन, कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। अतः, आवेदक एडी नियमों के नियम 2(ब) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिनिधित्व के मानदंडों को पूरा करता है तथा घरेलू उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आता है। साथ ही, यह आवेदन एडी नियमों के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) का उल्लेख करते हुए कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, जैसा कि अनुबंध-I के पैरा 8(3) में अपेक्षित है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाए।

18. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में मूल्य अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य अथवा लागत संबंधी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ को समुचित रूप से समायोजित किया गया है। जांच प्रारंभ करने के उद्देश्य से इसी सामान्य मूल्य को स्वीकार किया गया है। चीन जन. गण. में संबंधित वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने दावा किया है कि मलेशिया में तुलनीय घरेलू मूल्य गोपनीय प्रकृति की जानकारी होने के कारण उपलब्ध नहीं थे। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर, आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित लागत में विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़कर किया गया है।

20. तथापि, जांच शुरू करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने दोनों संबद्ध देशों के लिए भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि शामिल है।

ग) निर्यात मूल्य

21. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम के आंकड़ों में उपलब्ध सीआईएफ मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, आंतरिक मालभाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग व्यय, बंदरगाह व्यय, डीलर कमीशन तथा बैंक शुल्क के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

घ) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

23. आवेदक ने डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबंधित देशों से संबंधित वस्तु के आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबंधित देशों से संबंधित वस्तु के आयात के कारण मूल्य-दबाव के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मात्रा एवं मूल्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप, संबंधित आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है। संबंधित देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा दायर विधिवत समर्थित आवेदन तथा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, तथा अधिनियम की धारा 9क और नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ताकि पाटन की उपस्थिति, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

झ. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले सभी अनुरोध तथा पत्राचार उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु मामला आईडी एडी/ ओ आई /019/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

27. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकें।

28. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से संबंधित अनुरोध निर्धारित रूप एवं तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक पक्षकार को उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध करानी होगी।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट तथा सेतु पोर्टल पर नियमित दृष्टि रखें ताकि इस जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी, प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा बैठक, मौखिक सुनवाई, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य सूचनाओं से अवगत रह सकें।

ट. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी एडी/ ओ आई /019/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।

32. प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (सीवी) तथा अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को उनके लिए निर्धारित कॉलमों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।

34. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिनों की अवधि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. यदि प्राधिकारी किसी आगामी सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है जो जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रस्तावित नहीं था अथवा उससे भिन्न है, तो ऐसी संशोधित अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। तथापि, यदि विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यह अतिरिक्त अवधि लागू नहीं होगी। इस अतिरिक्त अवधि के अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोध केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे।

36. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपर्युक्त मूल समय सीमा समाप्त होने से कम से कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

37. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

38. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध/परिशिष्ट) अनुलग्नक सहितकरने वाले प (क्षकारें को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलगअलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।-

39. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

40. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को

वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए जहाँ सूच)ीबद्ध करना संभव न हो और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश (दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

44. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2026

Case No. AD(OI) – AD (OI) (17/2026)

SETU Case Id No. AD/OI/019/2026

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Dialyzers" originating in or exported from China PR and Malaysia.

1. **F. No. 6/19/2026-DGTR.—** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as

amended from time to time (hereinafter referred to as the "AD Rules" or the "Anti-dumping Rules"), Poly Medicure Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Dialyzers" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from China PR and Malaysia (hereinafter referred to as "subject countries")

2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from the subject countries are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present application is "Dialyzers*"*. Dialyzer is a disposable medical device used in haemodialysis treatment. A dialyzer acts as an artificial kidney and performs the critical function of removing waste substances such as urea and creatinine, excess fluid, and toxins from a patient's blood. It is a life-saving medical consumable and forms an indispensable part of the haemodialysis system.

4. It is an essential component of a dialysis machine and facilitates the process of blood purification during dialysis treatment. The dialyzer works on the principle of diffusion and filtration through a semi-permeable hollow fibre membrane, whereby impurities in the blood pass into the dialysate are retained while blood cells and essential components are passed through the membrane. Dialyzers are available in different membrane surface areas and are also classified on the basis of membrane flux.

5. Dialyzers manufactured and exported by Fresenius bearing brand names as, F6 HPS, F7 HPS, FX5, FX8, FX10, FX60, FX80, HF60, HF80, are excluded from the scope of the investigation.

<u>Unit of measurement</u>

6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Number or Pieces.

<u>Tariff classification</u>

7. The product under consideration is classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act under the sub-headings 90189031. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

<u>PCN Methodology</u>

8. The product under consideration is produced and sold in various membrane surface areas and flux categories. Each type of Dialyzer is used by the consumer depending on the dialysis requirements. Further, due to different types of characteristics (i.e., flux type, surface area etc.,), there is difference in the cost and price of the product. The cost and price of each type of product may differ significantly. In view of the same, the applicant proposed the following PCN methodology:

Parameter	Specification	Code
Surface Area of Dialyzer	1.3 M^2 and below	X
	Above 1.3 M^2 and below 1.8 M^2	Y
	1.8 M^2 and above	Z
Flux	High	H
	Other (Mid and Low)	M

9. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the product under consideration and propose product control numbers (PCN) methodology with justification and evidence, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

10. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable.
11. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product under consideration being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

12. The subject countries in the present investigation are China PR and Malaysia.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

13. The Authority has considered the period from 1st January 2025 to 31st December 2025 (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as “POI”). The injury investigation period shall cover the period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

14. The application has been filed by Poly Medicure Limited. The applicant has submitted that they have not imported the subject goods from the subject countries and are not related to producers and exporters from the subject countries. The applicant has submitted that they are the major domestic producer of the subject goods in India.

15. Besides the applicant, there is only one other producer producing the subject goods in India namely, NIPRO Medical India Pvt. Ltd. (“Nipro”). Nipro operates as a100% Export Oriented Unit (EOU). The company manufactures the subject goods almost entirely for export. The Authority has

considered domestic sales of Nipro as domestic production for the purpose of determination of standing.

16. Based on the information available on record, it is seen that production by the applicant constitutes a major proportion of domestic production. Thus, the applicant satisfies the criteria of standing and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a) **Normal Value for China**

17. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the AD Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the AD Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules.

18. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, the normal value has been constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation. There is sufficient evidence claimed by the applicant with regard to Normal value of subject goods in China PR.

b) Normal Value for Malaysia

19. The applicant has claimed that comparable domestic prices in Malaysia were not available due to the confidential nature of such information; therefore, the normal value was determined on an alternative basis by constructing the cost of production based on the cost of production of the applicant with appropriate additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

20. However, the Authority for the purpose of initiation has considered the normal value which has been constructed on the basis of the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits for both the subject countries

c) Export Price

21. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, marine insurance, handling charges, port expenses and dealers commission, bank charges.

d) Dumping Margin

22. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

23. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased significantly in absolute terms. There is evidence of price undercutting and price depression due to imports of subject goods from subject countries. On account of volume and price effect, the subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry. The domestic industry has incurred financial losses, cash losses and negative return on capital employed during the period of investigation. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

24. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

25. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU case ID (AD/OI/019/2026). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

27. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant

information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits set out below.

29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

31. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID AD/OI/019/2026.

32. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns **within 37 days** from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

34. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.

35. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

36. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

37. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

38. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

39. Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ‘non-confidential’ information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

40. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

41. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

44. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

45. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

46. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA